

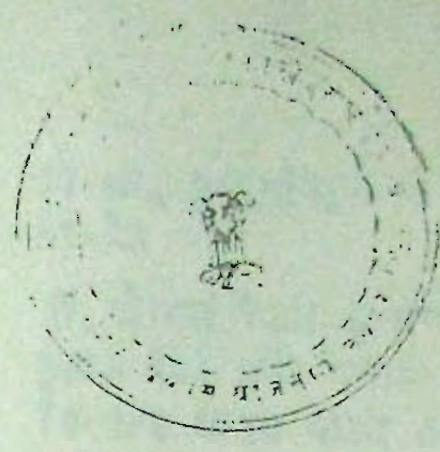
कार्यालय भूमि अधिपति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।
जयपुर विकास प्राधिकरण भवन।

प्रमाणित: ३०/नवि/९१/

दिनांक: 12.6.91

गुणवत्ता नमूने-

- 1. 582/86
- 2. 587/86
- 3. 585/86
- 4. 590/86
- 5. 584/86
- 6. 605/86
- 7. 607/86
- 8. 613/86
- 9. 624/86
- 10. 579/86
- 11.



विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के निर्वाह व विकास कार्य के प्रोत्साहन हेतु ग्राम-नन्दिनीपुरा उर्फ माम्बावात की भूमि प्रमाणित करने के लिए।

-: अ पा ठ :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को अधिपति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास की आवासीय विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अधिपति अधिनियम 1894/ 1984 का अनुसूची 3 अधिनियम संख्या 12 की धारा 4(1) के तहत प्रमाणित पत्र 15/नविआ/रा/नविआ/87 दिनांक 6.1.1988 तथा ग.स. प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 7 जुलाई, 1988 को प्रकाशित किया गया।

भूमि अधिपति अधिकारी द्वारा क-र की निर्धारित राज्य सरकार को भूमि के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अधिपति अधिनियम की धारा 6 का अन्तर्गत प्रमाणित पत्र 15/नविआ/3/87 दिनांक 20.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 31 जुलाई, 1989 को हुआ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास की आवासीय विभाग द्वारा की धारा 6 का अन्तर्गत प्रमाणित पत्र तथा अपने ग्राम नन्दिनीपुरा उर्फ माम्बावात तहसील काँगापैर की अधिपति भूमि की निर्धारित इस प्रकार काई नई है:-

भूमि अधिपति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ
जयपुर

प्रमाणित/अधिपति

भूमि अधिपति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ
जयपुर

क्र.सं. - पु.नं.सं. - ल.सं. नं.सं. - र.सं. - नाम और पता

1. 2. 3. 4. 5.

1. 502/88 111 04 - 12 श्री श्रीधर प्र. पु. मन्ना जीत मातो

112 07 - 14 श्री. देव

113 01 - 12

120 02 - 13

127 01 - 03

10 - 15

2. 559/80 1 04 - 09

श्री श्रीधर पु. श्रीधर जीत मातो
श्री. देव

3. 555/81 12 22 - 18

श्री श्रीधर प्र. पु. मन्ना दे. 1/2,
पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे.
दे. 1/2 जीत मातो श्री. देव

4. 598/80 134 03 - 11

135 02 - 02

137 05 - 19

138 00 - 09

139 00 - 12

श्री श्रीधर प्र. पु. मन्ना दे. 1/2,
पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे.
दे. 1/2 जीत मातो श्री. देव

5. 554/80 2 06 - 08

3 00 - 02

10 04 - 12

श्री श्रीधर पु. श्रीधर जीत मातो
श्री. देव

6. 605/88 149 00 - 02

150 00 - 04

159 00 - 08

श्री श्रीधर प्र. पु. मन्ना दे. 1/2,
पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे.
दे. 1/2 जीत मातो श्री. देव

7. 607/88 153 04 - 02

154/2 01 - 13

155 00 - 02

156 01 - 02

157 00 - 02

158 00 - 13

159 03 - 15

श्री श्रीधर पु. श्रीधर जीत मातो दे. 1/2,
पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे.
दे. 1/2 जीत मातो श्री. देव

8. 613/80 160 10 - 00

श्री श्रीधर प्र. पु. मन्ना दे. 1/2,
पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे. पु. मन्ना दे.
दे. 1/2 जीत मातो श्री. देव

9. 624/80 34 01 - 11

35 06 - 02

10. 579/80 60 00 - 04

61 07 - 10

62 00 - 03

63 07 - 13

64 09 - 15

श्री श्रीधर पु. श्रीधर जीत मातो श्री. देव

धारा 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन में छवरा नम्बर 111 रकबा 04बीघा 12बिघा 112 रकबा 14बिघा, 113 रकबा 01बीघा 12बिघा, 128 रकबा 02बीघा 12बिघा 129 रकबा 01बीघा 05बिघा भूमि की चौकस 14-मु. कमा जाति वाली वा. देव के नाम जातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधीनस्थ अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिफिकेशन जातेदारी/वितापार की दिनांक 9-11-90 को जारी किये गये जो तामीन कुनन्दा की छविस्था रिपोर्ट के अनुसार जातेदारी के परिपार है, सदस्य को तामीन क राधा न वा। दिनांक 18-12-90 को जातेदारी चौकस उपस्थित हुआ लेकिन क्लेम पैरा नहीं किया। दिनांक 8-2-91, 11-3-91, 16-3-91, 5-4-91, 22-4-91, 23-4-91, 7-5-91, 23-5-91, 30-5-91, को जातेदारी चौकस की तरफ से भी सदस्य द्वारा अभिभाषक उपस्थित हुए लेकिन कोई क्लेम पैरा नहीं किया। दिनांक 5-6-91 को भी सदस्य द्वारा अभिभाषक ने जातेदारी चौकस की तरफ से क्लेम पैरा किया।

श्री सदस्य देव शर्मा अभिभाषक ने दिनांक 5-6-91 को जो क्लेम पैरा किया है उसमें अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा 4,50,000/- रु प्रति बीघा की दर से मांग की है। लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेजात हस्ताक्षर प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों हस्ताक्षर के दिये उपजीव के लिए 8 लाख रु की मांग की है लेकिन उन्होंने इस क्लेम को प्रिन्ट में भी कोई दस्तावेजात पैरा नहीं किया है। इसी प्रकार उन्होंने अवाप्ताधीन भूमि पर होने वाले रुई रुई आदि की क्षतिपूर्ति की राशि 1,35,200/- तथा डील, सीमेंट पार्श्व लार्सन, नालिया, कच्चे धारे व को पिछो आदि के 55,800/- की मांग की है। तथा उन्होंने अवाप्ताधीन भूमि पर होने वाले पेड़-पौधों की क्षतिपूर्ति की राशि 5,000/- की मांग की है।

उक्त सभी मामलों में वितापार द्वारा जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिए ना तो कोई दस्तावेजात पैरा किये हैं और ना ही कोई प्रमाणित तकीनती तक्कीने प्रस्तुत किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुए दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार का क्लेम में मांग की गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के क्लेम से सहमत हैं।

श्री सदस्य देव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-6-91 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जाये। इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का क्लेम है कि श्री सदस्य देव शर्मा अभिभाषक को क्लेम की दस्तावेजात प्रेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पैरा करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब अनावश्यक रूप से और विलम्ब करना चाहते हैं। सभी आर्ट 2 एवं की अधीन में पारित करने अनिवार्य है इसलिए अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस क्लेम से सहमत हैं।

श्री सदस्य देव शर्मा को दिनांक 23-4-91, 5-7-91, 23-5-91, 30-5-91 को समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पैरा नहीं किया एवं दिनांक 5-6-91 को जो क्लेम पैरा किया उसके साथ दस्तावेजात पैरा नहीं किये। फिर भी उन्हें आर्ट पारित की तिथि से पूर्व कोई दस्तावेजात पैरा कर देने चाहिए थे जो नहीं किये। इसलिए उम्मा प्रार्थना पत्र दिनांक 12-6-91 खारिज किया जाता है। श्री सदस्य देव शर्मा ने दिनांक 12-8-91 को एक प्रार्थना पत्र और इसमें आवक प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम का कोई लिखित में उत्तर नहीं दिया है।

क्याहिये कयूर विद्या प्रविशक के अभिषेक को मान्य किया जाने कि यह उक्त उत्तर प्रस्तुत करें । निम्नो में से कोई प्रमाण नहीं है कि कयूर विद्या प्रविशक को इसके लिए मान्य किया जाने आः यह प्रार्थना हम भी करिष्ये कि यह हो ।

पुस्तक नम्बर- 357/90 - खरस नम्बर- 1 रकम 0400 या 09000

आरत के बाद नोटिफिकेशन में खरस नम्बर 1 रकम 0400 या 09000 की ओर पुनर्निर्माण का काम आर. देव के नाम आदेशकारी है । केन्द्रीय मंत्र आदेश आदेशनमर की धारा 7 एवं 10 के नोटिफिकेशन दिनांक 9-10-90 को जारी किया गये । जो आदेशनमर की धारा 7 के अनुसार नोटिफिकेशन आदेशनमर के परिवार के सदस्यों को आदेशनमर के । दिनांक 10-12-90 को आदेशनमर के द्वारा विद्या, पिता अविश्व व और का पुन पुन उपाधय पुन लेखन कोई लेखन नहीं किया । दिनांक 11-1-91 को आदेशनमर विद्या व पिता अविश्व पुन । दिनांक 8-2-91, 11-3-91, 15-3-91, 3-4-91, 22-4-91, 23-4-91, को जो आदेशनमर आदेशनमर को करत है जो करत देव शर्मा अभिषेक के उपाधय पुन लेखन लेखन नहीं किया । दिनांक 3-5-91 को केन्द्रीय कयूरविद्या एवं नमरसत कार्यः में जो धारा 7 एवं 10 के नोटिफिकेशन प्रमाण कराये गये हैं दिनांक 7-10-91 को जो करत देव शर्मा अभिषेक आदेशनमर विद्या व पिता अविश्व एवं दिनांक 23-5-91, 30-5-91, एवं 3-6-91 को जो अविश्व पुन लेखन लेखन नहीं किया । दिनांक 12-6-91 को जो करत देव शर्मा अभिषेक ने आदेशनमर के द्वारा को करत है लेखन नहीं किया ।

जो करत देव शर्मा अभिषेक ने जो दिनांक 12-6-91 को लेखन नहीं किया है उसमें उक्त आदेशनमर की कुल रकम 8,50,000/- 80 प्रतिशत की दर से मॉन की गई । लेकिन उन्होंने काय में कोई दरतादेशन वरदादेश प्रस्तुत नहीं किया है । इसी प्रकार से उन्होंने पानी देने के लिये केत में कोमेट वार्डन, पक्की पाकिंग, कच्चे और और कोठियाँ आदि की कीमतों राशि 4,99,000/- 80 की मॉन की है । उक्त उन्होंने उक्त आदेशनमर की मॉन पर लगे पेइ-वीपी की कीमतों राशि 3,29,000/- 80 की मॉन की है ।

उक्त सभी मामलों में विद्युत दारा जो लेखन की राशि की मॉन की है उसके लिये ना तो कोई दरतादेशन पैदा किया है और ना ही कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया है । कयूर विद्या प्रविशक के अभिषेक को के.पी.मि. ने प्रस्तुत लेखन का विवरण करते हुए दलील दी है कि विद्या कि दरतादेशन कादव के का प्रकार का लेखन में मॉन की गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है । हम कयूर विद्या प्रविशक के अभिषेक के काय के लक्षण हैं ।

जो करत देव शर्मा अभिषेक ने जो प्रार्थना नम दिनांक 12-6-91 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दरतादेशन वरदादेश प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जाये । यह प्रार्थना हम पर कयूर विद्या प्रविशक के अभिषेक का काय है कि जो करत देव शर्मा अभिषेक को उ लेखन एवं दरतादेशन पैदा करने के लिए पूर्व में जो कई अवसर दिये गये, लेकिन उन्होंने लेखन पैदा करने में अनाधिकार विचार किया है और अब अनाधिकार एवं के और विचार करना चाहते हैं । सभी आर्डर 2 एवं को आवेदन में पारित करने अनिवार्य है क्योंकि 28 जाने तक दिनांक आना अनिवार्य नहीं है । हम इस काय के लक्षण हैं ।

जो करत देव शर्मा को दिनांक 7-5-91, 23-5-91, 30-5-91 एवं 3-6-91 को कयूर विद्या प्रस्तुत दिये जाने पर जो लेखन नहीं किया दिनांक 12-6-91 को जो लेखन पैदा किया उनके काय दरतादेशन पैदा नहीं किया । फिर भी उन्हें आर्डर पारित की राशि से पूर्व कोई दरतादेशन पैदा कर देने चाहिये तो ही नहीं किया । इसलिए उक्त प्रार्थना हम

अधीनस्थ
अधीनस्थ नमर
जयपुर

अधीनस्थ नमर

अधीनस्थ नमर
जयपुर

दिनांक 12-6-91 को जारि किया जाता है। श्री सरपंच शर्मा ने दिनांक 12-6-91 को एक प्रार्थना-पत्र और इस वाक्य प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत वकालत की कोई भी प्रति में उत्तर नहीं दिया है इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिभाषक को आदेश दिया जाये कि वे इसका उत्तर प्रस्तुत करें। निम्नलिखित में देखा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिए आदेश दिया जाये। अतः यह प्रार्थना-पत्र भी जारि किया जाता है।

सूचना नम्बर 553/93 द्वारा नीचे 12 रकबा 22 बीघा 18 दिरवा:-

धारा 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन में सूची नम्बर 12 रकबा 22 बीघा 18 दिरवा की पंथगत प्लॉट नं. 1/2 गुलाब देवी पुत्री भन्ना प्लॉट नम्बर 18-1/2 जारि वाली स.दे. के नाम खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिफिकेशन खातेदारी/हस्तासारी को दिनांक 11-11-90 को जारी किया गया। जो तामिल कुनिन्दा की हकीकत रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हस्तादार के परिवार के सदस्यों को तामिल कराये गये। दिनांक 12-12-90, 11-1-91 को खातेदार पंथगत प्लॉट नम्बर 18 उपस्थित हुये लेकिन वकालत नहीं किया। दिनांक 8-2-91, 11-3-91, 16-3-91, 5-4-91, 22-4-91, 23-4-91, 7-5-91, 23-5-91, 30-5-91 एवं 5-6-91 को भी सरपंच शर्मा अधिभाषक खातेदारी को तब तक के उपस्थित हुये लेकिन वकालत नहीं किया। दिनांक 12-6-91 को श्री सरपंच शर्मा ने उपस्थित होकर वकालत देखा किया।

श्री सरपंच शर्मा ने दिनांक 12-6-91 को जो वकालत देखा किया है उसमें अधिग्रहण अधिनियम में से 22 बीघा 18 दिरवा 93 की रकबा देख में से 12 बीघा 18 दिरवा भूमि का ही वकालत देखा है। लेकिन देव रकबा 10 बीघा का वकालत नहीं किया गया है। साक्षरान सक्षरान में ^{16/2/91} खातेदारों के नाम खातेदारी में दर्ज है। अतः देव रकबा का अर्धांक भी इनमें खातेदारों के नाम जारी किया जा रहा है।

श्री सरपंच शर्मा ने जो वकालत देखा किया है उसमें भूमि का मुआवजा 4,50,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से मांग की है। लेकिन उन्होंने बीच में कोई दस्तावेजों के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों के दस्तावेज के उपयोग के तब 3 लाख रुपये की मांग की है। लेकिन उन्होंने इस वकालत की प्रुडेंट में भी कोई दस्तावेजों के नहीं किये हैं। इसी प्रकार उन्होंने हुये, खोरींग, बिजली के पथ, वाइप लाइनें आदि की क्षति-पूर्ति राशि न- 91,600/- की मांग की है एवं डोल, फूल, सिमेंट वाइप लाइनें, पक्की सड़क, कच्चे घोंरे व होमियों की क्षति-पूर्ति की राशि 1,24,000/- की मांग की है एवं अधिग्रहण अधिनियम में पर लगे हुये वेस्ट-मीटिंग की क्षति-पूर्ति की राशि 37,000/- की मांग की है।

उक्त सभी मांगों में हितदार द्वारा जो वकालत की राशि की मांग की है उसके लिए ना तो कोई दस्तावेजों के देखा किये हैं और ना ही कोई प्रमाणित तथ्यों की तथ्यों प्रस्तुत किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत वकालत का विरोध करते हुये दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजों के तब प्रकार का वकालत के मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं करता है। इस जयपुर विकास जयपुर प्राधिकरण के अधिभाषक के कथन से सहमत हैं।

श्री सरपंच शर्मा अधिभाषक ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-6-91 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजों के तब प्रस्तुत करने का उत्तर और दिया जाये। इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिभाषक का जवाब है कि श्री सरपंच शर्मा अधिभाषक को वकालत एवं दस्तावेजों के देखा करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने वकालत देखा करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब 93 आधायक रूप से 3 री विपक्ष में करना चाहते हैं। सभी अर्धांक 2 वर्ष की अवधि में जारी कर्तौ औनपार्थ हैं इसीलिए अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस सब कथन से सहमत है।

मुकदमा नम्बर ३७८/८८ जिला १० १३४ ३ बीघा ११ जिरा १३५ २ बीघा २ जिरा
१३७,५ बीघा १७ जिरा, १३८, ९ जिरा १३९, १२ जिरा :-

५५ विवेकानंद प्रोत्साहने

अथर्ववेद

[illegible]

श्री सरस्वती देवी अभिवादन ने २० प्रार्थना पर निर्धारित २-६-११ प्रस्ताव
 पर विचार किया है कि उन्हें परामर्श के माध्यम प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे।
 इस प्रार्थना पर परामर्श विभाग प्रार्थना के अभिवादन का कथन है कि श्री सरस्वती देवी
 अभिवादन को वही सर्व परामर्श के माध्यम करने के लिए पूर्व में भी सर्व अवसर दिये गये
 लेकिन उन्होंने ऐसा करने में आवश्यक प्रतिक्रिया नहीं दी और जब आवश्यक रूप से और
 प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सभी अवार्ड २ वर्ष की अवधि में प्रस्तुत करने अभिवादन के माध्यम से
 अब जाने समय दिया जाना आवश्यक नहीं है। इन सब बातों के लक्षण हैं।

श्री सरपंचदेव व वर्मा जी दिनांक 18-2-71, 3-4-71, 22-4-71, 30-5-71 को समय दिये जाने के कारण भी कोम पैरा नहीं किया एवं दिनांक 5-6-71 को भी कोम पैरा किया उनके साथ हस्ताक्षरित पैरा नहीं किया। फिर भी उन्हें कोम पैरा की शिथिल से पूर्व कोम हस्ताक्षरित पैरा कर देने बांटे दिये थे जो नहीं दिये। इसलिये उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-6-71 कातरण किया जाता है। श्री सरपंचदेव वर्मा ने दिनांक 12-6-71 को एक प्रार्थना-पत्र और एक बाका प्रस्तुत किया है कि जयपुर विधान प्रधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत कोम का कोई रिकॉर्ड भी उत्तर नहीं दिया है। इसलिये जयपुर विधान प्रधिकरण को कोम के सम्बन्ध में बाध्य किया जाये कि वे इसका उत्तर प्रस्तुत करें। निम्न में क्या कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विधान प्रधिकरण जो दफते दिये बाध्य किया जाये। अब यह प्रार्थना पत्र भी कातरण में रखा जाता है।

सुसुपत्त नमः 554/23 उरत नमः 10, 2, 3:

धारा 8 के अन्तर्गत नॉटिफिकेशन में उल्लेख नम्बर 2 रकबा 6 बीघा, 3 रकबा 2 दिसवा, 10 रकबा 9 बीघा 12 दिसवा को विराधा पुत्र गोपाल गोविंद मासी जा. देव के नाम कातेदारों के रूप में देखा गया है। इस अन्तर्गत अधिनियम को धारा 9 एवं 10 के नोटिफिकेशन द्वारा रजिस्ट्रार को दिनांक 9-11-90 को जारी किया गया। धारिका पुनर्जात को रजिस्ट्रार रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर कातेदार के न मिलने पर उनके परिवार के सदस्यों को नोटिफिकेशन जारी किया गया। दिनांक 18-12-90 को कातेदारानों (श्रीहराम, श्रीदेवा, तेजा, सुधाराम पुत्र हरी व विराधा उपरिस्थित हुए। लेकिन वेम पैस नहीं दिया। दिनांक 11-1-91 को कातेदार विराधा, तेजा, पैसा उपरिस्थित हुए। एवं दिनांक 8-2-91, 11-3-91, 16-3-91, 5-4-91, 22-4-91, 7-5-91, 29-5-91 एवं 30-5-91 को कातेदारानों को सरक से जो सरपदेव धर्मा अभिभाषक उपरिस्था होते रहे लेकिन वेम पैस नहीं दिया। दिनांक 12-6-91 को कातेदार विराधा को सरक से जो सरपदेव धर्मा अभिभाषक ने वेम पैस दिया जो तेजा, श्रीदेव, हरी, पैसा, विराधा गोपाल ने अपने हक में कोई वेम पैस परताये जात पैस नहीं दिया। अतः उनके विरुद्ध एक तरफ कातेदारों की अवजह में कोई नहीं।

की दरम्यान आई ने दिनांक 12.6.91 को जो काम पेश किया है उसमें आईएफ
अधीन ग्राम का कुल खर्च 4,50,000/- का प्रतिशोध को पर ले मांग को है। लेकिन
उन्होंने लाभ में जोई दरम्यान दरम्यान प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों,
दरम्यान के उपयोग के लिये 12 लाख रुपये को मांग को है लेकिन उन्होंने इस काम की
प्रुविटमें भी कोई दरम्यान पेश नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कुर्से, सोफा, टिकिया
के वगैर आदि की अतिशुद्ध राशि 3,36,000/- का भी मांग को है यह वामेंद नाहन-
लाहौर, पकड़ी, नाहौर, कले घाटे, कोरिया आदि की अतिशुद्ध राशि 78 हजार
को मांग की है तथा उन्होंने आईएफ अधीन ग्राम का लगे हुए एक-दोनों की अतिशुद्ध
राशि 4,60,000/- का भी मांग को है।

प्राचीन साहित्य

सूचि

संभार ति. २५३ में

5474

श्री सरवदेव शर्मा जीम्भाधर ने २४ प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-6-71 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी वाइप प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जाये। इस प्रार्थना-पत्र पर जयपुर विज्ञान प्राधिकरण के जीम्भाधर का ध्यान है कि श्री सरवदेव शर्मा जीम्भाधर को कोम सय दस्तावेजात भेज करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने प्रत्येक भेज करने में अनायास्य विरोध किया है और इस अनायास्य स्व है और विरोध करना चाहते हैं। तभी आई 2 मार्च की अवधि में पारित करने अनिवार्य है इसलिए इस आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस ध्यान के दृष्टत है।

धारा 6 के मजदूरी दिवसों में धारा नम्बर 149 रकबा 2 विस्था, 150
रकबा 4 विस्था, 159 रकबा 3 विस्था श्री लक्ष्मण सिंह, रामसिंह, बाबुसिंह, भगवान सिंह
सुमानसिंह नयता मौजसिंह, सुमानसिंह कवर देवा मौजसिंह इतस्ता 1/2 मीरवा
पतिव लौह सिंह इतस्ता 1/2 राजपूत के नाम जादेदारों के है। केन्द्रीय ग्राम ज्वाय
जोषीनका की धारा 9 एवं 10 के नोटिफ जादेदारान/इतदारान की दिनांक 9-11-90
को जारी किये गये। तामिल कुनिम्दा की इतिफ्याही सर्प्ट के अनुसार जादेदार बाबुसिंह
की सभी नोटिफ तामिल कराये गये। जादेदारान की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभावक
उपस्थित हुये दिनांक 15-2-91 को उपस्थित हुये लेकिन कोम पैसा नहीं दिया।
दिनांक 16-3-91, 5-4-91, 22-4-91 को भी श्री सत्यदेव शर्मा अभिभावक जादेदारान
की तरफ से उपस्थित हुये लेकिन कोम पैसा नहीं दिया। दिनांक 29-4-91 को जादेदारान
का तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुये। अतः दिनांक 2-5-91 को नवभारत टाइम्स एवं
दैनिक पञ्चांगीय समाचार पत्रों में धारा 9, 10 के नोटिफ प्रकाशित कराये गये एवं दिनांक
2-5-91 को सीधे जिला मजिस्ट्रेट, तामिल कुनिम्दा द्वारा नोटिफ तामिल के जारी किये
गये। दिनांक 20-6-91 को श्री सत्यदेव शर्मा अभिभावक उपस्थित हुये लेकिन कोम पैसा नहीं
दिया। दिनांक 5-6-91 को जादेदारान की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभावक ने

छात्रेष्टारान सनतिष्ठ, वाङ्मयिष्ठ, भाषान तिष्ठ कां प्रमाण तिष्ठ की प्रमाण है प्रमाण
के प्रमाण ।

श्री लक्ष्मणदेव प्रसाई आभनमठ में दिनांक 5-6-91 को श्री लक्ष्मण देव प्रसाई ने अपनी आभनमठ में 4,50,000/- की राशि को दे दिया है। लेकिन उन्होंने साध में कोई वस्तुधारात देना नहीं किया है। इस प्रकार उन्होंने अपना ही धर्मार्थ के उपलब्ध के लिये 10 लाख रुपये की राशि की है लेकिन उन्होंने इस धर्मार्थ की पूर्ति में भी कोई वस्तुधारात देना नहीं किया है। इसी प्रकार उन्होंने अपनी आभनमठ पर बने हुए, उनमें औरों के धर्म, समाज रूप से लगाई गई लाखों रुपये, लेकिन धर्मार्थ की पूर्ति राशि 71,700/- को भी नहीं दे दिया है। यह धर्म, धर्म, धर्मार्थ राशि 15,100/- को भी नहीं दे दिया है तथा उन्होंने अपनी आभनमठ पर बने हुए धर्मार्थ की पूर्ति राशि 27,100/- को भी नहीं दे दिया है।

[illegible]

श्री सरयदेव स्वामी अभिभाषक नेरह प्राचीन-वन दिनांक 12-6-71 प्रस्तुत
 कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी आह्वय प्रस्तुत करने का अवसर और दिया
 जाये। इन प्राचीन-वन पर संपूर्ण विचार प्राधिकरण के अभिभाषक का ध्यान है कि
 श्री सरयदेव स्वामी अभिभाषक को वन्य एवं दस्तावेजात पैदा करने के लिए पूर्व में भी कई
 अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने अनुरोध को करने में अनायासक विवक्षित किया है और
 अन्य अनायासक रूप से और विवक्षित करना चाहते हैं। सभी अवार्ड 2 वर्षों का अवधि में
 जारी करने अनिवार्य है इसीलिए अब जाने समय दिया जाना अनिवार्य नहीं है।
 इन इन अवधि से सम्बन्धित हैं।

श्री सत्यदेव वर्मा को दिनांक 15-3-91, 3-4-91, 22-4-91, 30-5-91, को समय दिये जाने के उपरान्त भी कोस देना नहीं दिया एवं दिनांक 8-6-91 को भी कोस नया दिया उसके साथ दस्तावेजात पैर। नहीं दिये। फिर भी उन्हें जमाना पारित की तिथि से पूर्व कोस दस्तावेजात पैर कर देने पाछिये थे। जो नहीं दिये। इसीलिए उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-6-91 लापता किया जाता है। श्री सत्यदेव वर्मा ने दिनांक 12-6-91 को एक प्रार्थना - पत्र और एक धाया प्रस्तुत किया है कि बरपुर विधान प्रीमियम ने उनके द्वारा प्रस्तुत कोस का श्रेष्ठ तिथि में रररर नहीं दिया है।

इसलिए चतुर विचार प्राप्तिरूप के अभिप्रायों को बाध्य किया जाये कि इसका उत्तर प्रस्तुत करें। तबकों में ऐसा कोई प्रादधान नहीं है कि चतुर विचार प्राप्तिरूप को इसके लिए बाध्य किया जाये। अतः यह प्रार्थना-यम भी स्वीकृत किया जाता है।

कन्द खासदार सम्मान सिंह, गुमान खैर खेड़ा मोहन सिंह, मेहर बाई पौन
 लोहू सिंह ने प्रेम देव नहीं दिया । अतः उनके विवाह एक वर्ष बाद आया ही अतः मैं
 लोहू २५ ।

2019

Q.

1875

कुल मूल्य 607/00 अथवा मूल्य - 125 रुपय 40/100 अंशित, 154/2
रुपय 10/100 अंशित, 155 रुपय 2/100 अंशित, 156 रुपय 10/100 अंशित,
127 रुपय 2/100 अंशित, 159 रुपय 12/100 अंशित, 163 रुपय 10/100 अंशित:

धारा 5 के तहत नोटिफिकेशन नं० 153, 154/2, 155, 156, 157, 158 व 160 की धूमि को कुलंद पुनः कब्जेवाला न 1/2, पुनः पुनः मजदूर 1/2 अति माली सा.देव के नाम करेदारों ने दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अधिनियम 1946 की धारा 9 एवं 10 के नोटिस करेदारों/विवादकारों को दिनांक: 01.11.90 को जारी किए गये 3 की तारीख भूमि माली की कमीशन रिपोर्ट के अनुसार नोटिस करेदारों की माँ की मजदूरों की वतनी कब्जेवाला व राखेवाला माली पुनः पुनः को कि करेदार का मजदूर है, को तारीख अंतर्गत गये, जिन्हें उक्त करेदारों को एक ही वी सरपंच द्वारा अधिनियम दिनांक 18.2.91 को उपस्थित हुए । दिनांक 12.3.91, 2.4.91, 22.4.91, 23.4.91, 7.5.91, 23.5.91, 30.5.91, एवं 3.6.91 को भी वी सरपंच द्वारा अधिनियम उपस्थित होने पर भी को को को नहीं दिया । दिनांक 12.6.91 को करेदारों की एक ही वी सरपंच द्वारा अधिनियम नं० 153, 154/2, 155, 156, 157, 158 व 160 का को कुलंद को और से देना दिया एवं उक्त धारा नम्बरों में के धारा नम्बर 153 एवं को को कुलंद को एक ही देना दिया है ।

अब श्री सरस्वती शर्मा ने जो दिनांक 12.6.71 को पारित्वार द्वारा
 दी जायदाद है उसमें अवा-प्राधीन भूमि है मुदादने की दर 4, 50, 000/-
 प्रति एकड़ की दर से लगान की है लेकिन उन्होंने लगान में कोई वसततवेजत कादि
 पैसा नहीं दिया है। जो प्रकार से उन्होंने लगानों कादादि है उनसे के निम्ने 12 लाख
 रुपये की लगान की है । लेकिन उन्होंने का प्रोम की पुष्टि में भी कोई वसततवेजत
 पैसा नहीं दिया है । जो प्रकार उन्होंने अवा-प्राधीन भूमि में भी दूरे, पोरिन,
 जिनकी से पन्ना, पारस कादने, लेकिन कादि की कतिपुर्ति राशि 1, 07, 920/- से
 की लगान की है एवं सीनेट पारस कादी पक्षीप्राप्ति, कसे छोटे और कोजिने का
 मुदाद 24, 500/- से की लगान की है । जिसे उन्होंने अवा-प्राधीन भूमि पर को
 दूरे पेड-पौधों की कतिपुर्ति की राशि 30, 300/- से की लगान की है ।

श्री प्रभार चरितार पुत्र का जमीन कागज नम्बर 193 रजिस्ट्रार कार्यालय
प्रायश्चित्त का जो पैसा प्रिन्स है उसमें भी अन्तर्गत जमीन का मुकादमा 4,50,000/-
है। श्री प्रभार का यह है मानें कि है लेकिन कोई दरसावेकत कादि पैसा नहीं मिले
है। श्री प्रभार अन्तर्गत अन्तर्गत जमीन पर उसे बुरे पर्व डीन कादि की लक्षि-
त है राशि 1,67,600/-50 को मांग की है एवं लोकेट पार्स काही, डीन कादि
की लक्षिती राशि 1,67,600/-50 को मांग की है एवं लोकेट पार्स काही,

विद्यया विदुषा विदुषा विदुषा
विदुषा विदुषा विदुषा विदुषा
विदुषा विदुषा विदुषा विदुषा

ਅੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਤ

वकास विभाग
वकास विभाग
वकास विभाग

डॉ०, पाणिपत, वल्लो शरीर ३ डॉ० ज्योत आदि की कल्पित राशि ३१, ६००/- २०
की मात्रा की है तथा उन्होंने अष्टाशतकोन भूमि पर की कुँ वेग-गरीबों की कति-
धूर्त की राशि ३२, ४००/- २० की मात्रा की है । अष्टाशतकोन प्रसन्न की मात्रा में
अपने अनेक अनेक प्रसन्न किये हैं । की सुनवाई में अपने अनेक अनेक अनेक
मन्त्राचार्य या अनेक मात्रा है उनमें से अनेक एक अनेक मन्त्र १३३ का अनेक अनेक
की सुनवाई में भी ऐसा किया है । अनेक अनेक में से अनेक में भी अनेक के अनेक
के अनेक में ' कुँ भी अनेक मन्त्र किये हैं । अनेक के अनेक में अनेक में अनेक
राज्य अनेक अनेक भी प्रसन्न नहीं किया है अनेक राज्य में अनेक अनेक
मन्त्राचार्य में अनेक का अनेक अनेक अनेक मन्त्राचार्य गया है । अनेक अनेक अनेक
मन्त्राचार्य राज्य में अनेक अनेक की किये जा रहा है ।

उक्त सभी मामलों में हिंदू राजाधिराज द्वारा जो चीन को राजा को
माना की है उसके लिए ना जो कोई दरवाजेदार के लिए को है और ना ही कोई
प्रमाणित राजा की समीचीन प्रस्तुत किया है । अतः प्रमाणित राजा के अभिमान
को मैत्रीपूर्णता का अर्थ है जो चीन का विदेश करने वाले हुए समीप को है कि किता
दिली दरवाजे की शक्ति के एक प्रमाण का होने में मानो गई राजा का कोई
अधिकार नहीं जाना है । वन अतः प्रमाणित राजा के अभिमान के रूप में
समझा है । हमोंने मैत्री में जो अधिक राजा को माना की है वह अत्यंत ही है ।

[illegible]

श्री सत्यदेव वर्मा अभिमान को हमें बहुत दिनों बाद पर भी
 खोज रहा हूँ जो सत्यदेव के पिताजी का है । यह दिनांक 12-6-9 । जो श्री
 खोज रहा हूँ किता उससे साथ सत्यदेव का पत्र मिला है । जो कि सत्यदेव का
 पत्र है जो कि मैं देने लाइने है । श्री सत्यदेव वर्मा ने 12-6-9 को जो पत्र प्रा-
 प्त का आदेश प्राप्त किया है कि जयपुर विधान प्राधिकरण को प्राप्त होने पर
 विधान में सत्यदेव देने हेतु लाइन किया जाये । निम्नो में पत्र जोई प्राधिकरण
 मिला है कि जयपुर विधान प्राधिकरण को लाइने विधान लाइन किया जाये । जय-
 पुर विधान प्राधिकरण पत्र लाइने दिने जाये है ।

उत्पादित प्रतिनिधि

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्री गणेशाय नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

मुद्रमा नम्बर-613/88 कारा नम्बर- 180 रुकवा 10बीघा

धारा 6 के मुकदमा नोटिफिकेशन में कारा नम्बर 180 रुकवा 10बीघा की भौतिकता, लाकरती गिरा सुजातान नामो ता-सौडामा के नाम खतेदारों में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अधिष्ठाता अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिफिकेशन जारी-रान-विस्तारान को दिनांक 9-11-90 को जारी किये गये जो तामील बुनियाद की इतिहास रिपोर्ट के अनुसार खतेदार के नहीं मिलते पर खतेदार का मकान विस्तारान को नोटिफिकेशन तामील कराया गया जिसे तहत खतेदार की तरफ से श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक दिनांक 13-2-91, 13-3-91, 13-4-91, 22-4-91, 23-4-91, को उपस्थित होते रहे लेकिन कोम पैरा नहीं किया । दिनांक 30-5-91 को धारा 9 एवं 10 के नोटिफिकेशन जारी किये गये । एवं दिनांक 9-5-91 को धारा 9 एवं 10 के नोटिफिकेशन नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवजाति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये । दिनांक 30-5-91 को खतेदार की तरफ से श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुए लेकिन कोम पैरा नहीं किया । दिनांक 12-6-91 को श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने उपस्थित होकर कोम पैरा किया ।

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने दिनांक 12-6-91 को जो कोम पैरा किया है उसमें 'जमा-काधोन भूमि का गुणावका 4,50,000/- रु0 प्रति बीघा के विस्तार से मांग की है । इसके अतिरिक्त मकानात आदि उपयोग के लिए 10 लाख रुपये, कुरे खोदना, बिजली के पम्प, स्थायी रूप से लागई गई पार्किंग लाईन, मकानों के लोन्गलेट के आये गये बैंक का जॉइंट का मुल्य 123800/- की मांग की है । एवं भूमि के जारी लफ्त और और प्ल, पानो देने के लिए सीमेन्ट पार्किंग लाईन, पक्की नालियाँ, कच्ची छोर और होजियाँ की क्षतिपूर्ति राशि 31000/- रु0 की मांग की है । एसी प्रकार गेहूँ-बाँधों की क्षतिपूर्ति राशि 26200/- रु0 की मांग की है ।

उक्त सभी मांगों में विस्तार द्वारा जो कोम की राशि की मांग की है उसके लिए ना तो कोई दस्तावेजात पेशा किये है और ना ही कोई रजिस्टर्ड लेन्डिंग से प्रमाणित तकनीकी तमामने प्रस्तुत किये है । जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत कोम को विरोध करते हुए बतौर दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के जो प्रकार के कोम में 'मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बताता है । हम जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभाषक के तहत से सहायता है । दम्होने कोम में जो अधिक राशि दर्शाई है वह अव्याप्य है ।

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-6-91 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
उपस्थित अधिकारी
म.प. नं. 10
म.प. नं. 10

और दिया जाने । इस प्रार्थना पत्र का जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भेजा है कि वे इस पत्र को सत्य देव शर्मा अभिभाषक को कोम एवं दस्तावेजात पत्र करने के लिए पूर्ण के जो कोई आवश्यक दिने गये लेकिन उन्होंने कोम पैरा करने में अन्यायपूर्ण विचार किया है और अब अन्यायपूर्ण रूप से और विकल्प करना शुरू है । सभी अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करने अनिवार्य है इसलिए सब को भेजा दिया जाना अन्यायपूर्ण नहीं है । हम इस कृत से सहमत हैं । और अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खरिज किया जाता है ।

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक को दिनांक 13-2-91, 13-3-91, 15-4-91, 22-4-91, 23-4-91, 30-5-91, को समय दिने जाने के उपरान्त भी कोम पैरा नहीं किया एवं दिनांक 12-6-91 को को कोम पैरा किया उनके साथ दस्तावेजात पैरा नहीं किया । फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की स्थिति से पूर्व दस्तावेजात पैरा पर देने चाहिये थे जो नहीं किया । इसलिए उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 12-6-91 खरिज किया जाता है । श्री सत्य देव शर्मा ने दिनांक 12-6-91 को एक प्रार्थना पत्र और का काका का प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके पत्र प्रस्तुत कोम का कोई लिखित में उत्तर नहीं दिया है । इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को साध्य किया जावे कि वे उनका उत्तर प्रस्तुत करें । निम्नलिखित में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को उनके लिए साध्य किया जावे । अतः यह प्रार्थना पत्र भी खरिज किया जाता है ।

श्री सत्य देव शर्मा ने जो कोम पैरा किया है वह सादेदार भारीसात व लक्ष्मी की पत्नी आनन्दी देवी के अतिरिक्त गणेश नारायण, रामलक्ष्मी, माता, विष्णु सेना के दस्तावेजों से भी पैरा दिया है । हम यहां सादेदार भारीसात व लक्ष्मी की पत्नी आनन्दी देवी के अलावा अन्य को हितधारि व्यक्ति को मानते हैं लेकिन उन्होंने अपने स्वामित्व संबंधों को दस्तावेजात पैरा नहीं किया है । इसलिए नृणापने की राशि का निर्धारण यहां उनके नाम से नहीं किया जा रहा है । उन्हें मुआवजा राशि का अज्ञात स्वामित्व संबंधों दस्तावेजात पैरा करने पर ही किया जावेगा ।

प्रमाणित, अतिरिक्त

②
सहायक अधिकारी
विकास योजनाएं
जयपुर

[illegible]

13

जयपुर

कमल विद्या प्रशिक्षण को छोड़ें कि वह धर्म विद्या (आदि) । अतः यह प्रश्न उभर आता है कि क्या यह विद्या ही है ।

मुद्रांक नम्बर-377/33 सं. 00 रकम 0400000. 01 रकम 070000 02 रकम 0300000. 03 रकम 070000 04 रकम 0300000. 05 रकम 070000 06 रकम 0300000

भारत 4 के मध्य नॉटिफिकेशन में कक्षा नम्बर 00 रकम 0400000. 01 रकम 070000 02 रकम 0300000. 03 रकम 070000 04 रकम 0300000. 05 रकम 070000 06 रकम 0300000. 07 रकम 070000 08 रकम 0300000. 09 रकम 070000 10 रकम 0300000. 11 रकम 070000 12 रकम 0300000. 13 रकम 070000 14 रकम 0300000. 15 रकम 070000 16 रकम 0300000. 17 रकम 070000 18 रकम 0300000. 19 रकम 070000 20 रकम 0300000. 21 रकम 070000 22 रकम 0300000. 23 रकम 070000 24 रकम 0300000. 25 रकम 070000 26 रकम 0300000. 27 रकम 070000 28 रकम 0300000. 29 रकम 070000 30 रकम 0300000. 31 रकम 070000 32 रकम 0300000. 33 रकम 070000 34 रकम 0300000. 35 रकम 070000 36 रकम 0300000. 37 रकम 070000 38 रकम 0300000. 39 रकम 070000 40 रकम 0300000. 41 रकम 070000 42 रकम 0300000. 43 रकम 070000 44 रकम 0300000. 45 रकम 070000 46 रकम 0300000. 47 रकम 070000 48 रकम 0300000. 49 रकम 070000 50 रकम 0300000. 51 रकम 070000 52 रकम 0300000. 53 रकम 070000 54 रकम 0300000. 55 रकम 070000 56 रकम 0300000. 57 रकम 070000 58 रकम 0300000. 59 रकम 070000 60 रकम 0300000. 61 रकम 070000 62 रकम 0300000. 63 रकम 070000 64 रकम 0300000. 65 रकम 070000 66 रकम 0300000. 67 रकम 070000 68 रकम 0300000. 69 रकम 070000 70 रकम 0300000. 71 रकम 070000 72 रकम 0300000. 73 रकम 070000 74 रकम 0300000. 75 रकम 070000 76 रकम 0300000. 77 रकम 070000 78 रकम 0300000. 79 रकम 070000 80 रकम 0300000. 81 रकम 070000 82 रकम 0300000. 83 रकम 070000 84 रकम 0300000. 85 रकम 070000 86 रकम 0300000. 87 रकम 070000 88 रकम 0300000. 89 रकम 070000 90 रकम 0300000. 91 रकम 070000 92 रकम 0300000. 93 रकम 070000 94 रकम 0300000. 95 रकम 070000 96 रकम 0300000. 97 रकम 070000 98 रकम 0300000. 99 रकम 070000 100 रकम 0300000.

यही अनुमान प्रत्यक्ष अभिलेखों में उपर्युक्त विवरणों में तालमेल न मिलने की वजह से है, जो कि अतः अतः ही अनुमानों में पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है । प्रत्यक्ष अभिलेखों पर अब विचार नहीं किया जा सकता । अतः ऊपर्युक्त में अस्वीकार्यता का फैसला ही जारी है ।

यही अनुमान प्रत्यक्ष अभिलेखों में उपर्युक्त विवरणों में तालमेल न मिलने की वजह से है, जो कि अतः अतः ही अनुमानों में पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है । प्रत्यक्ष अभिलेखों पर अब विचार नहीं किया जा सकता । अतः ऊपर्युक्त में अस्वीकार्यता का फैसला ही जारी है ।

उपरोक्त विवरणों में ही अतः अतः ही अनुमानों में पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है । प्रत्यक्ष अभिलेखों पर अब विचार नहीं किया जा सकता । अतः ऊपर्युक्त में अस्वीकार्यता का फैसला ही जारी है ।

अतः अतः ही अनुमानों में पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है । प्रत्यक्ष अभिलेखों पर अब विचार नहीं किया जा सकता । अतः ऊपर्युक्त में अस्वीकार्यता का फैसला ही जारी है ।

अतः अतः ही अनुमानों में पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है । प्रत्यक्ष अभिलेखों पर अब विचार नहीं किया जा सकता । अतः ऊपर्युक्त में अस्वीकार्यता का फैसला ही जारी है ।

प्रकाशित मुद्रांक
विकास योजनाएं
जयपुर

दीया ।

लोकन नेपुरात जीरका के तलवाय के अनुसार इस क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण
जिसके तहत भूमि आवंटित की जा रही है जो भी वह क्षेत्र दिया गया जयपुर विकास
प्राधिकरण के तहत नै अन्य प्रकार के ए.डी.आर/११/३३६/विभा.३-६-११ द्वारा एव
हदों में स्थित किया है कि धारा ५ के नोटिफिकेशन के तहत प्राप्त नक्काओरपुरा
उक्त मापवाक में १०,०००/- एव प्रो. बी.पी. के अनुसार भूमि का संयोजन हुआ
जा इसलिए यह क्षेत्र एक इकाई के अंतर्गत है यह दर दीया है ।

इसके इस क्षेत्र में उप पीछेका क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के तहत है अन्य
क्षेत्र पर भी जयपुरी प्रा. प्रा. की भी एक डाटा हुआ कि धारा ५ के नोटिफिकेशन
के तहत भूमि की दर इकाई की एक नहीं थी । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
ने भी अपने ए.डी.नोटिफिकेशन ३-६-११ द्वारा अब १९०७ की दर ६०००/- प्रो. बी.पी.
दिया है लेकिन अब १९८८-८९ की दर से स्थित नहीं दिया गया ।

लोकन इस मापवाक्य द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र के मापवाक्य को भूमि का मापवाक्य
राशि २५,०००/- प्रो. बी.पी. की दर है जहाँ नारा दिया गये तलवा अनुसार तलवा
उत्तर के भी प्रा. प्रा. की हुआ है, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिपति को के.पी.विभा.
ने कोई विभा. में उत्तर नहीं देकर नोटिफिकेशन १५ के एक नोटिफिकेशन दिया है कि धारा
मापवाक्य राशि २५,०००/- प्रो. बी.पी. की दर है तब की जहाँ है जो जयपुर विकास
प्राधिकरण को कोई आपात नहीं है । क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी मापवाक्य द्वारा
एक भूमि के मापवाक्य के क्षेत्र में २५,०००/- प्रो. बी.पी. की दर है जहाँ नारा दिया
गये है ।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मापवाक्य राशि २५,०००/- प्रो. बी.पी. की
दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं एक जो मानते हैं कि धारा ५ के तहत
नोटिफिकेशन के तहत भूमि की उचित की थी ।

जहाँ तक भू-सीमा एवं अन्य क्षेत्रों का प्रश्न है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
तलवा की रूप से अनुमोदित तलवाओं को एक जो नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति
में भू-सीमा एवं अन्य क्षेत्रों के मापवाक्य का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । जयपुर
विभाग के तलवाओं के तलवाओं एवं अनुमोदित तलवाओं प्रा. प्रा. होने पर अब पर विचार
है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के तलवाओं का निर्धारण दिया जावेगा ।

इस एक उक्त सभी मामलों में भूमि के मापवाक्य का निर्धारण को २५,०००/- एव
प्रो. बी.पी. की दर से करते हैं लेकिन मापवाक्य का हलफान तलवा रूप से अधिपति
मापवाक्य एक इकाई के तलवाओं के तलवाओं पर ही दिया जावेगा । मापवाक्य का
निर्धारण नोटिफिकेशन "५" के अनुसार की इस जहाँ जो मान है निर्धारित दिया जा
रहा है ।

केन्द्रीय भूमि अधीनस्थ अधिनियम की धारा 23(1) एवं 23(2) के अन्तर्गत
 मुद्रावली की उपरोक्त राशि ६ पर नियमानुसार 20% प्रीमियम को तोड़कर एवं 12% प्रीमियम
 अधीनस्थ राशि को देव होमो लिमिटेड निर्धारित वार्षिक "१" में मुद्रावली की राशि
 के साथ धारित किया है ।

अधिनियम निर्देशक प्रमाणित कर अधिनियम, नगर भूमि एवं भवन पर निर्धारण के
 अन्तर्गत प्रमाणित 916 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यलय को प्रेषित किया है 10
 गुलबारा नगर योजना के तहत 22 ग्राहक मध्य नगर स्थित बाजार में अधिनियम के
 एवं अन्तर्गत अधिनियम 1976 के प्रमाणित है । लेकिन उन्होंने यह सुचना नहीं दी है
 कि अन्तर्गत अधिनियम की धारा 10(3) की अधिनियम प्रमाणित करती है अन्तर्गत
 नहीं ऐसी स्थिति में अन्तर्गत केन्द्रीय भूमि अधीनस्थ अधिनियम के अन्तर्गत धारित होने
 का रहे है ।

वे अन्तर्गत अधिनियम 12-6-91 की धारित कर राज्य सरकार को अनुमोदित
 प्रमाणित होने का रहे है ।

है लगे पत्र दिनांक 23/7/91

भूमि अधीनस्थ अधिनियम
 भूमि अधिनियम अधिनियम
 नगर विकास योजनाएं
 जयपुर

27/7/91

बोर्ड सचिव के पत्र क्रमांक FC(15) नदिगा/87/पाई
 दिनांक 25/7/91 द्वारा अन्तर्गत अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है
 मुद्रावली नं. 613 के अन्तर्गत 180, मु. नं. 559 के अन्तर्गत 1, मु. नं. 624/88 के
 अन्तर्गत 54, 55, मु. नं. 564/88 के अन्तर्गत 9, 3, 10, मु. नं. 565/88 के
 अन्तर्गत 12 मु. नं. 582 के अन्तर्गत 111, 112, 113, 128, 129 की सूची के
 अन्तर्गत पाठ्य कर के 10 को बोर्ड 32वें अधिनियम के अन्तर्गत आदेश देव
 के अन्तर्गत 261 अन्तर्गत अधिनियम की धारा 28 है । अन्तर्गत मु. नं. 579 के
 अन्तर्गत 80, 81, 82, 83, 88 मु. नं. 598 के अन्तर्गत 134, 135, 137, 138, 139
 मु. नं. 607/88 के अन्तर्गत 153, 154, 155, 156, 158, 160, 157 मु. नं. 605/88
 के अन्तर्गत 144, 150, एवं 159 के अन्तर्गत अधिनियम 27/7/91 के
 अन्तर्गत अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 28

अधिनियम अधिनियम
 अधिनियम अधिनियम
 अधिनियम अधिनियम
 जयपुर

अधिनियम अधिनियम
 अधिनियम अधिनियम
 अधिनियम अधिनियम
 जयपुर

प्रधान-मन्त्री ज्योतिषपुरा तहसील भाग्यपात्राण - परिशिष्ट २

क्र.सं.	नाम धारक	कला नं.	हस्ता खो. नि.	मुआवजा रु. प्रति खो. नि.	कुल का मुआवजा	मार्गशुल्क 50%	अतिरिक्त 12%	कुल मुआवजा रु. प्रति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	392/88 श्री चौधन पि. कु. कल्ला आति माजी सा. देव	111 112 113 123 129	04-12 00-14 01-13 02-13 01-03	24,000/-	2,30,200/-	77,700/-	91,236/-	4,28,196/-
			10-16					
2	393/88 श्री ओट पु. गोपाय आति माजी सा. देव	1	04-09	24,000/-	1,06,800/-	1,32,040/-	37,594/-	1,75,434/-
3	394/88 श्री चौधन पि. कु. मन्ना 1/2, गुआवरी वृषी मन्ना पि. गुमान पि. 1/2, आति माजी सा. देव	12	22-18	24,000/-	5,49,600/-	1,44,880/-	1,93,492/-	9,07,952/-
4	395/88 श्री कल्या वि. रामचंद्र, राहुचंद्र, भगवान वि.	134 135	03-11 02-02					
	सुखचंद्र पि. कल्याचंद्र	137	03-19					
	पि. खोलाचिं वि. 5/8,	138	00-09					
	गुमान देव देव खोलाचिं	139	00-12					
	1/2, राजपुर सा. देव		12-13	24,000/-	3,09,600/-	94,080/-	1,06,800/-	50,1547/-

उपायुक्त परिशिष्ट

जयपुर

भूमि प्रयोग अधिकारी
भारत विकास योजनाएं
जयपुर



133329
23-1155

133329

133330
2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	554/30	श्री विद्या नृप गोपाय	2	08 - 00					
			3	00 - 01					
			10	04 - 12					
				10 - 14	24,000/-	2,54,800/-	77,040/-	90,374/-	4,24,334/-

133331

6	603/30	श्री अमरगढ़, रा.पि.स.	143	00 - 02					
		बहुविध, अमरगढ़ वि.स.	125	00 - 04					
		अनुवाकित वि.स. गो.स.	151	00 - 08					
		वि.स. गुलनसिंह बल वि.स.		00 - 14	24,000/-	16,000/-	3,040/-	5,914/-	27,754/-
		गो.स. वि.स. 1/2, मीरगढ़				16,800/-	5,000/-		
		श्रील जौहरी 1/2,							
		रा.पि.स.							

133332

		श्री सुदाम पु. अमरगढ़	153	04 - 02					
		वि.स. 1/2, गुलन नृप गोपाय	154/2	01 - 15					
		1/2, मीरगढ़ वि.स. ना.देव	193	00 - 02					
			156	01 - 02					
			157	00 - 02					
			198	00 - 15					
			140	00 - 16					
				08 - 12	24,000/-	2,06,400/-	61,920/-	72,603/-	3,40,973/-

133333

उपाधीन अधिकारी
श्री अमरगढ़ वि.स. ना.देव
जयपुर

107/-

श्री अमरगढ़ वि.स. ना.देव
जयपुर

क्र.	विवरण	प्रमाण	मिति	रकम	कुल	अनुमानित	अनुमानित	अनुमानित
8	513/33 श्री श्रीराम, जयपुरी	130	10 - 00	24,000/-	18,000/-	72,000/-	84,420/-	3,76,480/-
	वि.सु.स.स.स.स.स.				2,40,000/-			
9	524/- श्री श्रीराम, जयपुरी	54	01 - 11					
	सु.स.स.स.स.स.	35	06 - 02					
			07 - 13	24,000/-	1,83,600/-	183,600/-		
10	579/33 श्री श्रीराम, जयपुरी	60	00 - 04					
	जयपुरी	81	07 - 14					
		82	00 - 03					
		83	07 - 10					
		83	09 - 16					
			25 - 11	24,000/-	6,13,200/-	1,83,960/-	2,15,846/-	10,13,006/-



उत्पादित आदिनिधि

नोट: कोषीय 22 राशि कोष नम्बर 8 पर नक्का हो गई है ।
 2. उत्पन्न राशि 122 को नक्का कोष नम्बर 9 पर दिनांक 7-7-63 से 12-5-91 तक हो गई है ।

35 months. 6 days

मुख्य अधिकारी
 भारत विकास योजनाएं
 जयपुर